न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कंचन राठौड़ (आर. ए. एस.)

राजस्व अपील संख्या :– 125/2018

अपीलांन्ट्स :–

1. मनमोहन पुत्र श्री किशनजी, जाति जाट, निवासी–सुरपुरा कला
2. श्रीमती शान्ता पुत्री किशनजी, पत्नी श्री मांगीलाल जी के कायम मुकाम
   अ– अशोक पुत्र मांगीलाल, के कायम मुकाम–
   i – श्रीमती शीला पत्नी श्री अशोक,
   ii – अभिषेक पुत्र श्री अशोक
   समस्त जातियान–जाट, निवासीगण– बाबा रामदेव मन्दिर के फाटक के सामने, मसूरिया जोधपुर
   ब– विरेन्द्र पुत्र मांगीलाल के कायम मुकाम–
   i – श्रीमती तारा पत्नी श्री विरेन्द्र
   ii – यशपाल पुत्र विरेन्द्र
   समस्त जातियान–जाट, निवासीगण–प्लोट नं. 84, शास्त्रीगर पाल रोड जोधपुर
   स– राजेश पुत्र मांगीलाल जी जाति–जाट, निवासी–बाबा रामदेव मन्दिर के फाटक के सामने मसूरिया जोधपुर।
3. श्रीमती कमला पुत्री किशनजी, धर्मपत्नी श्री शिवजीरामजी जाति जाट, निवासी–मकान नं. 531/19 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर।
4. श्रीमती विमला पुत्री किशनजी, धर्मपत्नी श्री मंगलसिंह जी के कायम मुकामान
   अ– नरेन्द्र पुत्र मंगलसिंह जी, जाति– जाट निवासी – प्लोट नं. 93 सत्यनारायण मन्दिर के पास, मदेरणा कॉलोनी भदासिया जोधपुर।
5. श्रीमती सुशीला पुत्री किशनाजी, धर्मपत्नी श्री शेरसिंह जी जाति जाट, निवासी–119 सुभाषनगर खेमे का कुआ पाल रोड़ जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टसः–

1. जगदीश पुत्र श्री किशनाजी, जाति जाट निवासी–प्लोट नं. 36–ए, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर।
2. श्रीमती विमला पुत्री किशनाजी, धर्मपत्नी श्री मंगलसिंह जी के कायम मुकामान
   अ– धर्मेन्द्र पुत्र मंगलसिंह जी, जाति–जाट, निवासी–प्लोट नं. 282 हनुवन्त ए बी. जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर।
3. दीपक पुत्र चिमनीरामजी
4. मोहन पुत्र चिमनीरामजी
5. लालचन्द पुत्र चिमनीरामजी
6. हिम्मताराम पुत्र भंवरलाल जी
7. श्रीमती समू पत्नी श्री भंवरलाल जी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:23:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

8. हजारी पुत्र थाना
9. श्रीमती मानी पत्नी थाना
10. मोतीराम पुत्र गणेश
11. नत्थाराम पुत्र गणेश
12. पुखाराम पुत्र गणेश
13. नेनाराम पुत्र कंवराराम
14. मानाराम पुत्र कंवराराम
15. पोकरराम पुत्र कंवराराम
16. मदनलाल पुत्र कंवराराम
17. नैनाराम पुत्र शिवजीराम
18. सवाईराम पुत्र शिवजीराम
19. ओमप्रकाश पुत्र गोपालसिंह
20. भंवरलाल पुत्र लाबूराम
21. मालाराम पुत्र लाबूराम
22. चौथाराम पुत्र थानाराम
23. बुद्धाराम पुत्र भोमाराम
24. घेवरराम पुत्र भोमाराम
25. मोटाराम पुत्र कुम्भाराम
26. डूगरराम पुत्र कुम्भाराम
27. पप्पूराम पुत्र कुम्भाराम
28. पूनाराम पुत्र मंगनाराम
29. श्रीमती मथुरा पत्नी श्री गंगाराम
30. पन्नाराम पुत्र मंगनाराम
31. मुल्तानराम पुत्र धूलाराम
32. नैनाराम पुत्र धूला
33. गुलाराम पुत्र खुमाराम
34. मानाराम पुत्र चोलाराम
35. श्यामलाल पुत्र चोलाराम
36. कालू पुत्र चोलाराम
37. मुन्नाराम पुत्र कीना
38. मोतीराम पुत्र कीना
39. मंगलाराम पुत्र कीना
40. मोतीराम पुत्र जोरू
41. नैनाराम पुत्र जोरू
42. मनोहरसिंह पुत्र जोरू
43. राजूराम पुत्र रामा
44. पप्पूराम पुत्र अनाराम
45. धन्नाराम पुत्र रामा
46. चन्द्राराम पुत्र रूघाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:23:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

47. जेठाराम पुत्र रूघाराम
48. बाबूलाल पुत्र रूघाराम
49. श्रीमती बाउडी पत्नी भानाराम
50. कालु पुत्र भानाराम
51. भूण्डाराम पुत्र गोपू
52. ओमाराम पुत्र कंवराराम
53. गुमनाराम पुत्र केसूराम
54. ठाकुरराम पुत्र केसूराम
55. झैनाराम पुत्र केसूराम
56. मांगीलाल पुत्र हीरा
57. नैनाराम पुत्र हीरा
58. श्रीमती गमती पत्नी श्री मंगाराम
59. प्रकाश पुत्र मंगाराम नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती गमती पत्नी मंगाराम
60. शिवराम पुत्र मानाराम
61. दौलाराम पुत्र मानाराम
62. चूनाराम पुत्र मानाराम
63. किशनाराम पुत्र बगाराम
64. पूनाराम पुत्र चोलाराम
65. नैनाराम पुत्र चोलाराम
66. सोहनराम पुत्र चोलाराम
67. श्रीमती रूकड़ी पत्नी गोबरराम
68. रामपाल पुत्र गोबरराम
69. सुरेश पुत्र गोबरराम, नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती रूकड़ी पत्नी गोबरराम
70. भेराराम पुत्र जसूराम
71. तीजकी पत्नी धनाराम
72. सूर्या पुत्र धनाराम नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती तीजकी पत्नी धनाराम
73. मालाराम पुत्र दीपाराम
74. श्रीमती समूड़ी पत्नी घेवरराम
75. कालू पुत्र घेवरराम
76. लालाराम पुत्र दीपाराम
77. त्रिलोकराम पुत्र मांगीलाल
78. सोहन पुत्र मांगीलाल
79. भींयाराम पुत्र मांगीलाल
80. हरीराम पुत्र धोंकल
81. हजारीराम पुत्र धोंकल
82. सुखदेव पुत्र गोपू

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:23:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
[illegible] अधिकारी, [illegible]

83. नैमाराम पुत्र गोपू
84. दिनेश पुत्र गोपू
85. दौलतराम पुत्र खेता
86. ओमाराम पुत्र खेता
87. बचनाराम पुत्र खेता
88. सोनी पुत्री परताप
89. गंगा पुत्री परताप
90. चुकड़ी पुत्री परताप
91. नथाराम पुत्र कंवराराम
92. भींयाराम पुत्र गोपू
93. बुद्वा पुत्र अमरा
94. बालूराम पुत्र भूरा
95. मांगीलाल पुत्र भूरा
96. कोजाराम पुत्र जीया
97. भोमाराम पुत्र जीया
98. कन्हैयालाल पुत्र जीया
99. भंवरलाल पुत्र बस्तीराम
100. राजेश पुत्र प्रेमाराम
101. मुकेश पुत्र प्रेमाराम
102. शान्ति पत्नी प्रेमाराम
103. लिखमाराम पुत्र मांगीलाल
104. कालू पुत्र मांगीलाल
105. सोहन पुत्र मांगीलाल
106. दौलाराम पुत्र बींजाराम
107. मंघाराम पुत्र बींजाराम

समस्त जातियान जाट, निवासीगण सुरपुरा कलां तहसील बावड़ी जिला जोधपुर

108. सरपंच ग्राम पंचायत बोड़वी खुर्द, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

अधिवक्ता उपस्थितः—

1. श्री भोपतसिंह जोधा अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

भू.राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम खिलाफ नामान्तरकरण संख्या 29 ग्राम सुरपुरा कलां तहसील बावड़ी जिला जोधपुर

निर्णयः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:23:28 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :— **03.06.2022**

अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील ग्राम सु[illegible] कलां तहसील बावड़ी नामान्तरकरण संख्या 29 स्वीकृत दिनांक 12/12/[illegible] के विरुद्ध की गयी। अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का [illegible]–पत्र पेश किया गया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

अपीलान्ट्स द्वारा अपील में बताया गया कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 29 स्वीकृत दिनांक 12.12.1964 से पूर्व अपीलान्ट्स को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ पंचायत ने नामान्तरकरण संख्या 29 को कभी भी स्वीकार नहीं किया। पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तरकरण में अंकित खाना नं. 11 के अनुसार दुरस्ती की जावे। उक्त अंकन को नामान्तरकरण की स्वीकृती मानकर के पटवारी हल्का ने राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कर भारी भूल की है। अपीलान्ट्स के पिता ने उक्त भूमि को कभी भी बेचान नहीं किया है और न ही ऐसा कोई बेचाननामा कभी प्रस्तुत हुआ है। फिर भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत के नामान्तरण स्वीकृत किया गया।

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 29 ग्राम सुरपुरा कलां को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्स के नाम वसीयतनामा दिनांक 04.10.1956 को प्रस्तुत व दिनांक 30.10.1956 को पंजीबद्ध के आधार पर नामान्तरकरण भरे जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट्स की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत कर बताया गया कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही परिसीमा से बाधित है। नामान्तरकरण संख्या 29 की जानकारी शुरु से ही सम्बन्धित पक्षकारों को रही है। जिसकी अपील भी की गई थी जो अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 24.07.1993 को खारीज की गई । जिसके विरूद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई जो अपील संख्या 88/1993 के रूप में दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 05.08.2000 को निर्णित हुई। उक्त अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी जो कि वर्तमान अपील में अपीलार्थी है, के पूर्व पुरुष थे, का देहांत हो गया एवं उक्त मृतक किसनाराम की जगह कायम मुकाम के तौर पर मृतक की पत्नि नाथी बाई, पुत्र मनमोहन व जगदीश ने अपनी ओर से अपील में कार्यवाही की एवं प्रार्थना पत्र में कथन किया कि इनके अलावा और कोई वारिस नहीं है। अब इन्ही पक्षकारों ने फिर से नामान्तरकरण संख्या 29 को चुनौति दी है। तथा उक्त प्रकरण में पारित आदेश अंतिम रूप ले चुका है। जिस वसियतनामें का जिक्र अपीलान्ट्स कर रहे है व बनावटी फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है। जो साक्ष्य में ग्राहय नही है। एवं उक्त दस्तावेज के आधार पर अपील प्रस्तुत नही की जा सकती क्योंकि वसीयतनामें को प्रमाणित किया जाना आज्ञापक है तथा अपील में प्रमाणिकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना [illegible] अन्तर्गत धरा 5 परिसीमा अधिनियम खारीज कर अपील को [illegible] खारीज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:23:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

उभयपक्षकारान द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस की गई। पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का पक्षकारान अधिववक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील करीब 57 वर्ष पुराने स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्व पेश की गयी है। अपीलान्ट्स द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना–पत्र में देरी के कारण बावत कोई ठोस मजबूत आधार पेश नहीं किया गया है। पूर्व में इसी नामांतरकरण संख्या 29 के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों में प्रकरणों के दौरान अपीलान्ट पक्षकार रहे है।

आदेश

अतः अपील के साथ पेश धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र ठोस एवं मजबूत आधार पेश नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है। अपील अपीलान्ट्स म्याद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है।

कंचन राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

आदेश आज दिनांक 03.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कंचन राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:23:28 IST
Reason: SelfAttested